[2018] एस.सी.आर 618

रिलायंस सेल्यूलोज प्रोडक्ट्स लिमिटेड

बनाम

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(सिविल अपील सं. 1110/2010)

20 जुलाई, 2018

[न्यायमूर्ति, आर. एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति, इंदु मल्होत्रा]

मध्यस्थता अधिनियम, 1940–पूर्व–संदर्भ, वादक़ालीन ब्याज और भावी ब्याज–मध्यस्थ की निर्णय देने की शक्ति–तथ्यों पर, वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मूल्य के संबंध में मध्यस्थता के लिए संदर्भित पक्षों के बीच विवाद–मध्यस्थ द्वारा मूल्य का निर्धारण और पूर्व–संदर्भ, वादक़ालीन ब्याज और भविष्य का ब्याज सभी 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से–सिविल न्यायाधीश द्वारा ब्याज को घटाकर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष करना–उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा–अपील पर कहा गया:मध्यस्थता अधिनियम के तहत, एक मध्यस्थ को ब्याज अधिनियम के तहत पूर्व–संदर्भ ब्याज के साथ–साथ विचाराधीन राशि और भविष्य का ब्याज देने की शक्ति होती है–हालांकि, वह केवल इस तथ्य से संकुचित होता है कि पक्षों के बीच एक समझौते में पूर्व–संदर्भ और/या विचाराधीन राशि के ब्याज के पंचाट के लिए एक स्पष्ट प्रतिबंध हो सकता है–प्रसंगत मामले में, अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 16 स्पष्ट रूप से किसी भी देरी के लिए ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करता है–इस खंड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति को भी अप्रत्यक्ष रूप से संदर्भित करता है–उच्च मूल्य के कारण कोई देरी नहीं हुई क्योंकि यह दोनों केवल पंचाट की तारीख को और उससे देय हो गया था–भले ही खंड 16 का आवेदन होना था। ब्याज की दर 18% से 10% घटा देने का कारण पर्याप्त ना होगा कि आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मध्यस्थ के विवेकाधिकार में थी। कोई भी निष्कर्ष नहीं है कि मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया गया ब्याज 18% ग़लत तरीक़े से विवेकाधिकार का प्रयोग कर किया गया है।

रिलायंस की अपील को स्वीकार करते हुए और ओ. एन. जी. सी. की अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि –

1.1. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत, एक मध्यस्थ को ब्याज अधिनियम के तहत पूर्व–संदर्भ ब्याज देने की शक्ति है। 1978 के साथ–साथ पेंडेंट लाइट और भविष्य का ब्याज।हालाँकि, वह केवल इस तथ्य से सीमित है कि पक्षों के बीच एक समझौते में पूर्व–संदर्भ और/या लंबित ब्याज के पंचाट के लिए एक स्पष्ट प्रतिबंध हो सकता है। चूँकि ब्याज प्रकृति में प्रतिपूरक है और समय पर मूल राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर परजीवी है, इसलिए इस

न्यायालय ने उन खंडों पर आपत्ति जताई है जो ब्याज के भुगतान को रोकते हैं। इसलिए इसने ऐसे खंडों के सख्त निर्माण की कसौटी विकसित की है, और यह कहा है कि जब तक कि एक मध्यस्थ द्वारा दिए जा सकने वाले ब्याज के भुगतान पर एक स्पष्ट और स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, तब तक ऐसे खंड जो मध्यस्थों के समक्ष दावों या पक्षों के बीच विवादों को संदर्भित नहीं करते हैं और स्पष्ट रूप से ब्याज के भुगतान पर रोक लगाते हैं, पूर्व–संदर्भ या लंबित ब्याज देने वाले मध्यस्थ के रास्ते में नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार, जब कोई टिहरी पनबिजली विकास निगम लिमिटेड के खंड के साथ दूसरे अम्बिका निर्माण मामले के खंड जैसे खंड की तुलना करता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक कोई ठेकेदार इस बात से सहमत नहीं होता है कि पक्षकारों के बीच विवाद, अंतर या गलतफहमी के कारण या इंजीनियर की ओर से देरी के संबंध में या किसी अन्य मामले में ब्याज के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा या भुगतान नहीं किया जाएगा, जिससे न्यायालय को ब्याज के भुगतान के खिलाफ एक स्पष्ट बार मिल जाएगा, एक खंड जो केवल यह बताता है कि अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, 1940 के अधिनियम के तहत एक मध्यस्थ को लंबित ब्याज देने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जैसा कि प्रथम अम्बिका निर्माण मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, विचाराधीन लघु ब्याज का अनुदान समझौते में उपयोग किए गए वाक्यांशों, मध्यस्थता से संबंधित शक्ति प्रदान करने वाले खंडों, मध्यस्थ को संदर्भित दावे और विवाद की प्रकृति और किन मदों पर ब्याज देने की शक्ति छीन ली गई है और किस अवधि के लिए इस पर निर्भर करता है।जैसा कि 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) के तहत कुछ निर्णयों में समझाया गया है, स्थिति पूरी तरह से अलग है, क्योंकि 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) पक्षों के बीच समझौतों को पवित्र मानती है और कहती है कि जिस क्षण समझौता अन्यथा कहता है, कार्रवाई के कारण की तारीख से पुरस्कार दिए जाने तक कोई ब्याज देय नहीं होता है। [प्रस्तर–22,645–D–H, 646–A–C]

1.2. प्रश्नगत मामले में, अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 16 केवल ओ. एन. जी. सी. को भुगतान न करने में किसी भी देरी की बात करता है। ब्याज के लिए उत्तरदायी।इस खंड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्याज देने की मध्यस्थ की शक्ति को भी अप्रत्यक्ष रूप से संदर्भित करता हो।इस न्यायालय ने पाया कि उक्त खंड दूसरे अम्बिका निर्माण मामले में तीन–न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किए गए खंड की तुलना में संकीर्ण है जिसमें कहा गया है कि अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।वर्तमान मामले में खंड 16 केवल भुगतान में देरी तक सीमित है और अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय किसी अन्य राशि तक सीमित नहीं है।इसके अलावा, टिहरी पनबिजली विकास निगम लिमिटेड के खंड के विपरीत, खंड 16 में ऐसी भाषा नहीं है जो इतनी व्यापक प्रकृति की हो कि वह मध्यस्थ को लंबित ब्याज देने से रोक दे।यह याद रखा जाएगा कि * * टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खंड में किसी भी धन के संबंध में ब्याज के लिए किसी भी दावे पर विचार या देय होने की बात नहीं की गई है जो पार्टियों के बीच विवादों, मतभेद या गलतफहमी के कारण सरकार के पास हो सकता है और न केवल देरी या चूक के संबंध में; इसके अलावा, * *

टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का खंड बहुत आगे जाता है और यह स्पष्ट करता है कि ब्याज के लिए कोई भी दावा किसी भी अन्य मामले में देय नहीं है।"इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि खंड 16 संभवतः वर्तमान मामले के तथ्यों पर लंबित ब्याज के भुगतान में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

1.3. यह निवेदन कि, किसी भी मामले में, वर्तमान मामले के तथ्यों पर, खंड 16 बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है क्योंकि वास्तव में, प्रति मीट्रिक टन Rs. 14,999/– की राशि के रूप में भुगतान में कोई देरी नहीं हुई थी, वास्तव में, 1200 मीट्रिक टन और 600 मीट्रिक टन दोनों के लिए भुगतान किया गया था, लेकिन यह कि शेष राशि केवल पुरस्कार की तारीख को और उससे देय हो गई थी, सही है, क्योंकि यह किसी का मामला नहीं है कि इस मामले के तथ्यों पर भुगतान में देरी हुई थी।रिलायंस द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक लिखित याचिका दायर करने के बाद ही यह स्पष्ट हो गया कि अधिक कीमत देय होगी, जिसे उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्धारित करने के लिए मध्यस्थ पर छोड़ दिया गया था, जिसमें मूल्य के मुद्दे को मध्यस्थ को भेजा गया था, जिसे ओ. एन. जी. सी. ने स्वीकार कर लिया था। मामले के इस दृष्टिकोण से, यह स्पष्ट है कि उच्च मूल्य के कारण कभी कोई देरी नहीं हुई क्योंकि यह केवल पुरस्कार की तारीख को और उसके बाद से देय हो गया, Rs.14,999/– प्रति मीट्रिक टन का भुगतान पहले समय पर किया गया था।यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि भले ही खंड 16 का आवेदन होना था, पूर्व–संदर्भ और विचाराधीन लघु ब्याज दोनों ही वर्जित नहीं हैं। [प्रस्तर –24, 646–H; 647–A–C]

1.4. ब्याज को 18 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का एकमात्र कारण यह बताया गया है कि ओ. एन. जी. सी. एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो मध्यस्थ के विवेक के भीतर था, उसे अलग करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि पुरस्कार के समय ब्याज दरों को देखते हुए इस विवेकाधिकार का गलत तरीके से उपयोग किया गया है। 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का अनुदान पूर्व–संदर्भ और लंबित ब्याज के रूप में बरकरार रखा जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ओ. एन. जी. सी. ने देय मूल राशि, और पूर्व–संदर्भ, लंबित राशि और भविष्य के ब्याज में अंतर जमा किया है, सभी 10 प्रतिशत की दर से जो कि रु. 1,09,34,323/– तक 21.01.1999 और Rs.46,86,138/– की राशि है, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दो तिथियों तक ब्याज की वसूली 18 प्रतिशत की दर से होगी।इस प्रकार, पूर्व–संदर्भ, वादकालीन और भविष्य के ब्याज के लिए, ओ. एन. जी. सी. को आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर 21.01.1999 और 30.04.2003 तक 8 प्रतिशत की अंतर राशि का भुगतान करना है।न्याय के हित में, यह स्पष्ट किया जाता है कि 10 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के बीच का अंतर होने के कारण, 10 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के बीच की शेष अंतर राशि पर और इसी तरह, भुगतान होने तक 10 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के बीच की शेष अंतर राशि पर, भुगतान होने तक, भविष्य में ब्याज का भुगतान 6 प्रतिशत प्रति वर्ष किया जाना है। [प्रस्तर –25, 647–D–G]

सिंचाई विभाग, उड़ीसा राज्य बनाम जी. सी. रॉय (1992) 1 एससीसी 508:[1991] 3 पूरक।एससीआर 417; अधिशासी अभियन्त्रा (सिंचाई), बालीमेला बनाम अभदूत जेना (1988) 1 एससीसी 418:[1988] 1 एससीआर 253; अधिशासी अभियन्त्रा, ढेंकनाल लघु सिंचाई प्रभाग, उड़ीसा और अन्य।एन. सी. बुधराज (2001) 2 एस. सी. सी. 721:[2001] 1 एससीआर 264; कलकत्ता बंदरगाह के लिए न्यासी मंडल बनाम इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज, (1996) 1 एससीसी 516:[1995] 6 पूरक एससीआर 327; भगवती ऑक्सीजनलिमिटेड वी.हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, (2005) 6 एस. सी. सी. 462:[2005] 3 एससीआर 232; एम. बी. पटेल एंड कंपनी बनामओ. एन. जी. सी. (2008) 8 एससीसी 251:[2008] 8 एससीआर 35; राजस्थान राज्य और

एन. आर. वी.मेसर्स फेरो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड (2009) 12 एस. सी. सी 1: [2009] 10 एस. सी. आर. 31; भारत संघ बनाम सारस्वत व्यापार एजेंसी (2009) 16 एस. सी. सी. 504:[2009] 10 एस. सी. आर. 1063; मदनानी निर्माण निगम (पी) लिमिटेड बनाम.भारत संघ और ओआरएस। (2010) 1 एससीसी 549: [2009] 16 एससीआर 216; यू. पी. राज्य बनामहरीश चंद्र और कंपनी (1999) 1 एस. सी. सी. 63:[1998] 2 पूरक।एससीआर 660; श्री कामची अम्मन कंस्ट्रक्शंस बनाम डिवीजनल रेलवे मैनेजर (वर्क्स), पालघाट और अन्य।, (2010) 8 एससीसी 767:[2010] 10 एस. सी. आर. 487; भारत संघ बनाम. क्राफ्टर्स इंजीनियरिंग एंड लीजिंग (पी) लिमिटेड (2011) 7 एससीसी बी. 279: [2011] 8 एससीआर 196; * * टिहरी पनबिजली विकास निगम लिमिटेड बनामजय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (2012) 12 एससीसी 10:[2012] 8 एससीआर 813; भारत संघ बनाम. ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड (2015) 9 एससीसी 695:[2015] 6 एस. सी. आर. 488; भारत संघ बनाम अम्बिका निर्माण ("पहला अम्बिका निर्माण मामला"), (2016) 6 एससीसी 36:[2016] 2 एससीआर 810; * अम्बिका निर्माण बनाम भारत संघ ("द्वितीय अम्बिका") निर्माण मामला) (2017) 14 एस. सी. सी. 323; मेसर्स रवीची बनाम भारत संघ 2018 (8) स्केल 415

– संदर्भित।

<u>संदर्भित विधिक मामले</u>

[1991] 3 पूरक।एस. सी. आर. 417 पैरा 7 [1988] 1 एस. सी. आर. 253 पैरा 7 [2001] 1 एस. सी. आर. 264 पैरा 7 [1995] 6 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. 327 पैरा 8 [2005] 3 एस. सी. आर. 232 पैरा 9 [2008] 8 एस. सी. आर. 35 संदर्भित किया गया है पैरा 10, [2009] 10 एससीआर 31 संदर्भित किया गया है पैरा 11,

[2009] 10 एससीआर 1063 संदर्भित किया गया है पैरा 12, [2009] 16 एससीआर 216 संदर्भित किया गया है पैरा 13, [1998] 2 पूरक।पैरा 13 [2010] 10 एससीआर 487 पैरा 14, [2011] 8 एससीआर 196 पैरा 15, [2012] 8 एससीआर 813 पैरा 17, [2015] 6 एससीआर 488 पैरा 18, [2016] 2 एससीआर 810 पैरा 19, (2017) 14 एससीसी 323 पैरा 20, 2018 (8) स्केल 415 पैरा 21 ए,

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील सं. 1110/2010; प्रथम अपील संख्या 5767/1998 में में गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद पीठ के दिनांकित 23.08.2006 के निर्णय और आदेश से

साथ में

सिविल अपील सं. 1111/2010;

संदीप सेठी, ए. एस. जी., के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, शब्याशची पात्रा, संजीव कुमार (मेसर्स खेतान एंड कंपनी के लिए), पी. बी. सुरेश, विपिन नायर, अभय प्रताप सिंह, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति **आर. एफ. नरीमन** द्वारा दिया गया था–

1.वर्तमान अपीलें उन प्रश्नों से संबंधित हैं जो मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत पूर्व–संदर्भ और लंबित ब्याज के कारण उत्पन्न होते हैं।ओ. एन. जी. सी. ने सोडियम कार्बोक्सिल मिथाइल सेल्युलोज (इसके बाद "सी. एम. सी". के रूप में संदर्भित) के 1200 मीट्रिक टन (इसके बाद "एम. टी". के रूप में संदर्भित) की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित करने के लिए एक सूचना जारी की।रिलायंस सेल्युलोज प्रोडक्ट्स लिमिटेड (इसके बाद "रिलायंस" के रूप में संदर्भित) ने 900 एम. टी. से अधिक मात्रा के लिए 14,999/– प्रति एम. टी. की कीमत का हवाला देते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत की। यह विवादित नहीं है कि रिलायंस के प्रस्ताव को 1200 एम. टी. सी. एम. सी. की आपूर्ति के लिए स्वीकार कर लिया गया था, और तदनुसार, रिलायंस पर एक आपूर्ति आदेश दिनांक 01.12.1988 रखा गया था। चूंकि रिलायंस 1200 एम. टी. की आपूर्ति केवल तभी करने के लिए सहमत हुई जब कीमत 1,999/– प्रति एम. टी. से अधिक हो, इसलिए पक्षकार अंततः यह तय करने के लिए मध्यस्थता में गए कि सी. एम. सी. की 1200 एम. टी. की आपूर्ति के लिए अनुबंध मूल्य क्या होना चाहिए। 600 एम. टी. सी. एम. सी. की आपूर्ति के लिए एक अलग आदेश, जिसे दोहराव आदेश के रूप में संदर्भित किया गया था, भी रखा गया था। यह निर्विवाद है कि आपूर्ति समय पर की गई थी और दोनों अनुबंधों के लिए भुगतान Rs.14,999/– प्रति मीट्रिक टन की दर से प्राप्त किया गया था।

2. अक्टूबर 1990 में, याचिकाकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष दीवानी आवेदन दायर किया, जिसमें दिनांक 11–10–1990 के एक आदेश द्वारा, पक्षों के बीच विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था, जो क्रमशः 1200 मीट्रिक टन और 600 मीट्रिक टन सी. एम. सी. की आपूर्ति के लिए मूल्य के संबंध में थे।मूल मध्यस्थ न्यायाधिकरण में न्यायमूर्ति वी. एस. देशपांडे और श्री एस. टिबरेवाल शामिल थे।श्री देशपांडे की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर न्यायमूर्ति बी. जे. दीवान को नियुक्त किया गया।

3. जहां तक सी. एम. सी. के 600 एम. टी. का संबंध है, मध्यस्थों ने दिनांक 29.12.1993 के एक निर्णय द्वारा 1200 एम. टी. की कीमत Rs.18,500/– प्रति एम. टी., और 500/– प्रति एम. टी. निर्धारित की।मध्यस्थों ने 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से पूर्व–संदर्भ, विचाराधीन राशि और भविष्य का ब्याज प्रदान किया।ओ. एन. जी. सी. द्वारा पंचाट पर आपत्तियाँ दायर की गईं। विद्वान सिविल न्यायाधीश ने अपने दिनांक 30.07.1998 के निर्णय द्वारा इन आपत्तियों को खारिज कर दिया, लेकिन अंततः तीनों अवधियों के लिए ब्याज को घटाकर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया।यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह ब्याज क्रमशः Rs.14,999/– और Rs.18,500/– और Rs.20,500/– के बीच के अंतर पर देय था।उच्च न्यायालय में दायर की गई अपीलों का वही परिणाम प्राप्त हुआ, जो दिनांक 23.08.2006 के विवादित फैसले में सामने आया था।दोनों पक्ष हमारे समक्ष अपील कर रहे हैं।

4. सिविल अपील सं 1110/2010 का तर्क देने वाले श्री के. वी. विश्वनाथन ने हमारे समक्ष तर्क दिया है कि ब्याज को 18 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का कोई उचित कारण नहीं दिया गया है।वास्तव में, विवादित फैसले से जो एकमात्र कारण सामने आ रहा है वह यह है कि ब्याज कम कर दिया गया है क्योंकि ओ. एन. जी. सी. एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।उनके अनुसार, इसलिए, पूर्व–संदर्भ, विचाराधीन राशि और 18 प्रतिशत पर भविष्य का ब्याज सभी कार्रवाई के कारण की तारीख से 21.01.1999 तक देय हो जाते हैं, जब ओ. एन. जी. सी. ने 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मूलधन और ब्याज के कारण Rs. 1,09,34,323/– और 30.04.2003 पर Rs. 46,86,138/– की राशि जमा की थी, और आज तक अंतर ब्याज।

5. ओ. एन. जी. सी. की अपील में, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री संदीप सेठी ने तर्क दिया है कि हालांकि यह याचिका कि कोई पूर्व–संदर्भ या लंबित ब्याज देय नहीं था, पक्षकारों के बीच इस तरह के ब्याज के अनुदान पर एक स्पष्ट प्रतिबंध है, जिसे विद्वान सिविल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों ने नोट किया था, लेकिन उस पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है।विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार, अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 16 स्पष्ट रूप से किसी भी देरी के लिए ब्याज के भुगतान पर रोक लगाता है और इसे नीचे दिया गया हैः

"16. भुगतान की हमारी मानक शर्तें दुकानों की प्राप्ति और स्थल पर निरीक्षण के 30 दिनों के भीतर हैं।लेकिन भुगतान में कोई भी देरी आयोग को किसी भी ब्याज के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी।"

6. उन्होंने अपने इस कथन को पुष्ट करने के लिए कई निर्णयों का हवाला दिया है कि खंड 16 इस मामले के तथ्यों पर किसी भी ब्याज के भुगतान के लिए एक संविदात्मक प्रतिबंध के बराबर होगा।दूसरी ओर, श्री विश्वनाथन ने भी विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है।उनका तर्क है कि खंड 16 यह इस मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है क्योंकि भुगतान में कोई देरी नहीं हुई थी, लेकिन केवल Rs.14,999/– प्रति मीट्रिक टन की राशि और ऊपर उल्लिखित उच्च आंकड़ों के बीच का अंतर मध्यस्थता के माध्यम से पक्षों के बीच विवादों के समाधान के कारण देय था।किसी भी मामले में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान ए. एस. जी. के साथ–साथ उनके द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों के समग्र अध्ययन से पता चलेगा कि जहां तक 1940 के अधिनियम का संबंध है, ब्याज केवल तभी देय होगा जब समझौते में कोई स्पष्ट बाधा न हो, और पक्षों के बीच समझौतों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि ब्याज खोए हुए धन के मूल्य के लिए मुआवजे का अनुदान है, जैसा कि कुछ निर्णयों में माना गया है।ऐसा होने के कारण, हालांकि पक्षों के बीच एक प्रतिबंध हो सकता है, फिर भी मध्यस्थ को पूर्व–संदर्भ या लंबित ब्याज देने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।यह जोड़ा जा सकता है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि भविष्य में ब्याज दिया जाना है, सिवाय ब्याज की दर के।

7. पाँच न्यायाधीशों की दो महत्वपूर्ण पीठ के निर्णयों में कहा गया है कि 1940 के अधिनियम के तहत, समझौते के तहत एक स्पष्ट प्रतिबंध के अभाव में, मध्यस्थ के पास तीनों अवधियों के लिए ब्याज देने का अधिकार क्षेत्र है, अर्थात, पूर्व–संदर्भ, विचाराधीन राशि के साथ–साथ भविष्य का ब्याज। सिंचाई विभाग, उड़ीसा राज्य बनाम जी. सी. रॉय (1992) 1 एस. सी. सी. 508 ने जेना के मामले को खारिज कर दिया [कार्यकारी] इंजीनियर (सिंचाई), बालीमेला बनाम अभादुता जेना, (1988) 1 एस. सी. सी. 418] और अभिनिर्धारित किया कि 1940 के अधिनियम के तहत मध्यस्थों को विचाराधीन लघु ब्याज देने के अधिकार क्षेत्र के साथ माना जाएगा। जहां तक पूर्व–संदर्भ ब्याज का संबंध है, पांच अन्य न्यायाधीशों की पीठ, ने अधिशासी अभियन्ता **ढेंकनाल लघु सिंचाई प्रभाग, उड़ीसा और अन्य बनाम एन. सी बुधराज, (2001) 2 एस. सी. सी. 721** के मामले में अभिनिर्धारित किया कि 1940 के अधिनियम के तहत मध्यस्थों को 1978 के ब्याज अधिनियम के लागू होने से पहले ही पूर्व–संदर्भ ब्याज देने की शक्ति प्रदान की गई थी।हम वर्तमान मामले में केवल 1940 के अधिनियम से संबंधित हैं। 1996 के अधिनियम ने 1940 के अधिनियम के तहत स्थिति से एक बड़ा विचलन किया है जो कि पूर्व–संदर्भ और विचाराधीन ब्याज है जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मामले के कानून के परिप्रेक्ष्य से निकलेगा।

8. पोर्ट ऑफ कलकत्ता के न्यासी मण्डल बनाम इंजीनियर्स डी–स्पेस–एज, (1996) 1 एस. सी. सी. 516 के मामले में इस न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की पीठ को इस बात पर

विचार करना था कि क्या अनुबंध का खंड 13 (जी) ब्याज के अधिनिर्णय पर रोक लगाता है। उस मामले में अनुबंध का खंड 13 (जी) नीचे दिया गया हैः–

> "आयुक्तों द्वारा किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में ब्याज के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा जो उनके और ठेकेदार के बीच किसी भी विवाद के कारण या आयुक्तों की ओर से अंतरिम या अंतिम भुगतान करने में किसी भी देरी के संबंध में हो सकता है।"

उपरोक्त जी. सी. रॉय के मामले में पारित निर्णय के पश्चात न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि –

> "4. हम संदर्भ से पहले की अवधि के लिए ब्याज देने के संबंध में किसी मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं।हम मध्यस्थ द्वारा संदर्भ के बाद ब्याज देने के संबंध में एक मामले पर विचार कर रहे हैं।इसलिए, संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या पहले निकाले गए अनुबंध के खंड 13 के उपखंड (जी) को देखते हुए मध्यस्थ को अनुबंध के तहत ब्याज देने से प्रतिबंधित किया गया था।अब उपखंड (छ) में शब्द केवल आयुक्त को ब्याज के लिए किसी भी दावे पर विचार करने से रोकता है और मध्यस्थ को ब्याज देने से नहीं रोकता है।प्रारंभिक शब्द "ब्याज के लिए कोई दावा आयुक्त द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा" स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि इरादा आयुक्त को ठेकेदार को भुगतान में देरी के कारण ब्याज देने से प्रतिबंधित करना था। खंड का कड़ाई से इस सरल कारण से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि जैसा कि संविधान पीठ ने इंगित किया है, आम तौर पर, एक व्यक्ति जिसके पास वैध दावा है, वह उचित समय के भीतर भुगतान करने का हकदार है और यदि भुगतान में उचित समय से अधिक देरी हुई है, तो वह वैध रूप से उस देरी के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है, जो भी नाम उस ओर से उसके दावे को दिया जाए।यदि ऐसा है, तो हम उस अनुबंध की अवधि पर एक सख्त निर्माण करने के लिए उचित होंगे, जिस पर निर्भरता रखी गई है।कड़ाई से समझा जाए तो अनुबंध की अवधि केवल आयुक्त को विलंबित भुगतान के लिए ठेकेदार को ब्याज का भुगतान करने से रोकती है, लेकिन एक बार मामला मध्यस्थता में जाने के बाद मध्यस्थ के विवेक को किसी भी तरह से अनुबंध की इस अवधि से बाधित नहीं किया जाता है और मध्यस्थ को लंबित ब्याज के अनुदान के प्रश्न पर विचार करने और ब्याज देने का अधिकार होगा यदि वह दावे को उचित समझता है।इसलिए, हमारी राय है कि अनुबंध के खंड के तहत मध्यस्थ को किसी भी तरह से ब्याज लंबित देने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था।"

9. भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड बनाम हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, (2005) 6 एस. सी. सी. 462, 1940 के मामले में दो विद्वान न्यायाधीशों का निर्णय 1940 के अधिनियम से संबंधित है जिसमें यह न्यायालय ब्याज से संबंधित सभी तीन अवधियों से संबंधित था, और यह अभिनिर्धारित किया कि 1940 के अधिनियम के तहत कार्य करने वाले मध्यस्थ के लिए इनमें से प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज देने के लिए खुला है बशर्ते कि कोई संविदात्मक बाधा न हो।

10. एम. बी. पटेल एंड कंपनी बनामओ. एन. जी. सी. (2008) 8 एस. सी. सी. 251, जिस खंड को ब्याज पर रोक लगाने के लिए कहा गया था, वह समझौते का खंड 18 था जिसमें निम्नानुसार प्रावधान किया गया थाः

> "18. राशि पर ब्याज।– अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय प्रतिभूति जमा या किसी अन्य राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।"

[पैराग्राफ 4 पर] न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ब्याज समझौते के खंड 14 का उल्लंघन करते हुए दिया गया था क्योंकि मध्यस्थ ने इस खंड को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा था।इस और अन्य आधारों पर, समग्र रूप से पंचाट को अलग कर दिया गया था, और मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए मध्यस्थ को भेज दिया गया था।

11. राजस्थान राज्य व अन्य बनाम मेसर्स फेरो कोंक्रीट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, (2009) 12 एस. सी. सी. 1, के मामले में इस न्यायालय के दो–न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय 1940 के अधिनियम के तहत एक पुरस्कार द्वारा दिए गए पूर्व–संदर्भ ब्याज से संबंधित था। इस न्यायालय ने ऊपर निर्दिष्ट पाँच–न्यायाधीशों की पीठ और भगवती ऑक्सीजन (उपर्युक्त) का उल्लेख करके पूर्व–संदर्भ हित की स्थिति को दोहराया।जिस पर प्रकाश डाला गया वह ब्याज अधिनियम, 1978 का महत्व था, जिसकी धारा 3 के तहत यह स्पष्ट है कि एक मध्यस्थ द्वारा पूर्व–संदर्भ ब्याज की अनुमति दी जा सकती है जब तक कि पक्षों के बीच एक स्पष्ट प्रावधान के आधार पर कोई प्रतिबंध न हो (पैराग्राफ 63 और 64 देखें)।

12. भारत संघ बनाम सारस्वत व्यापार एजेंसी, (2009) 16 एस. सी. सी. 504, लम्बित ब्याज का प्रश्न मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत उत्पन्न हुआ।जिस खंड को उपरोक्त मामले में ब्याज पर रोक लगाने के लिए कहा गया था, वह समझौते का खंड 31 था जिसमें निम्नानुसार प्रावधान किया गया थाः

> "31. भुगतान में देरी के लिए कोई ब्याज या नुकसान नहीं।– भुगतान में देरी के लिए ठेकेदार को कोई ब्याज या नुकसान नहीं दिया जाएगा। किसी के लिए ठेकेदार को देय बिल या कोई अन्य राशि कारण जो भी हो।

हालांकि, रेल प्रशासन ठेकेदार को देय बिलों या अन्य राशि के उचित समय के भीतर भुगतान के लिए हर संभव प्रयास करेगा।"

उपरोक्त इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज के निर्णय में यह कहते हुए कि समझौते का खंड 31 भौतिक रूप से अलग था क्योंकि किसी भी कारण से कोई ब्याज या क्षति देय नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

"33. प्रश्नगत मामले में समझौते का खंड 31 भौतिक रूप से अलग है। यह किसी भी कारण से ठेकेदार को किसी भी ब्याज या नुकसान के भुगतान पर रोक लगाता है।इसलिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि मद 3 के तहत राशि पर प्रत्यर्थी को कोई पूर्व–संदर्भ या लंबित ब्याज देय नहीं था और उस राशि पर पूर्व–संदर्भ और लंबित ब्याज की अनुमति देने वाला मध्यस्थ का निर्णय स्पष्ट रूप से समझौते की स्पष्ट शर्तों का उल्लंघन था।इसलिए, जहां तक मद 3 के तहत राशि पर पूर्व–संदर्भ और लंबित ब्याज का संबंध है, उच्च न्यायालय का आदेश टिकाऊ नहीं है।"

इस मामले को बाद में 1996 के अधिनियम के तहत उत्पन्न होने के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जिसके तहत पूर्व–संदर्भ और विचाराधीन ब्याज दोनों की स्थिति भौतिक रूप से अलग है।

13. मदनानी निर्माण निगम (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2010) 1 एस. सी. सी. 549 के मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों को 1940 के अधिनियम के तहत पारित एक निर्णय में ब्याज अधिनियम के तहत पूर्व–संदर्भ ब्याज के अनुदान से निपटना था। निर्णय के पैराग्राफ 22 और 23 में ऐसे खंड निर्धारित किए गए हैं जो ब्याज के भुगतान को निम्नानुसार रोकते हैंः"22. जी. सी. सी. का खंड 16 (2) नीचे दिया गया हैः

"16. (2) अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय बकाया राशि या प्रतिभूति जमा या राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, लेकिन इस खंड के ऐसे खंड (1) के संदर्भ में जमा की गई सरकारी प्रतिभूतियां उपार्जित ब्याज के साथ चुकाई जाएंगी।"

23. ब्याज से संबंधित खंड 30 का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया हैः

"...कि ठेकेदार को ऊपर निर्दिष्ट ग्रहणाधिकार के तहत इस तरह के रोक या प्रतिधारण के संबंध में किसी भी खाते पर ब्याज और क्षति के लिए कोई दावा नहीं होगा और ठेकेदार को विधिवत अधिसूचित किया जाएगा।"

ब्याज अधिनियम और मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 29 का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने राज्य में तीन–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख किया– स्टेट ऑफ़ यू. पी. बनाम हरीश चंद्र एंड कंपनी, (1999) 1 एस. सी. सी. 63, निम्नानुसार हैः

"34. तीन–न्यायाधीशों की पीठ स्टेट ऑफ़ यू. पी. बनाम हरीश चंद्र एंड कंपनी [(1999) 1 एस. सी. सी. 63] मध्यस्थता समझौते में ब्याज देने के खिलाफ शर्त थी।संबंधित खंड, अर्थात्, उपरोक्त प्रभाव का खंड 1.9 नीचे दिया गया हैः(एस. सी. सी. पेज 67, पैरा 9)

"9...1.9. विवाद के कारण भुगतान में देरी के लिए कोई दावा नहीं आदि। किसी भी विवाद, अंतर के कारण सरकार के पास पड़े किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में ब्याज या हर्जाने के किसी भी दावे पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। या आवधिक या अंतिम भुगतान को चिह्नित करने में या किसी अन्य मामले में प्रभारी अभियंता के बीच गलतफहमी।""

उक्त खंड पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि उक्त खंड में निषेध ठेकेदार को निर्णय के लिए रखी गई प्रासंगिक वस्तुओं पर मध्यस्थ के समक्ष हर्जाने के रूप में ब्याज का दावा करने से नहीं रोकता है।(एस. सी. सी. पी. देखें। 67, पैरा 10.) ऐसा कहते हुए, विद्वान न्यायाधीशों ने बी. एन. अग्रवाल [(1997) 2 एस. सी. सी. 469] और जी. सी. रॉय [(1992) 1 एस. सी. सी. 508] के निर्णयन पर भरोसा किया।

इसके बाद इसने पैराग्राफ 35 में उपरोक्त वर्णित इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज और पैराग्राफ 37 में सारस्वत ट्रेडिंग एजेंसी (ऊपर) का उल्लेख किया।

और 38.अंत में, हालांकि, दो–न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दियाः– "39. प्रश्नगत मामले में भी प्रासंगिक खंड, जिन्हें ऊपर उद्धृत किया गया है, अर्थात् जी. सी. सी. के खंड 16 (2) और एस. सी. सी. के खंड 30 में मध्यस्थ पर ब्याज देने का कोई निषेध नहीं है।इसलिए, उच्च न्यायालय का उपरोक्त खंडों के आधार पर ब्याज के मामले में मध्यस्थ के निर्णय में हस्तक्षेप करना सही नहीं था।इसलिए हम एक सख्त निर्माण पर उन खंडों और इंजीनियरों [(1996) 1 एस. सी. सी. 516] में अनुपात पर भरोसा करते हुए पाया गया है कि उक्त खंड ब्याज देने में मध्यस्थ पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।"

14. श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस बनाम डिवीजनल रेलवे मैनेजर (वर्क्स), पालघाट और अन्य, (2010) 8 एस. सी. सी. 767, इस न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की पीठ ने इस न्यायालय के पहले के कुछ फैसलों का उल्लेख करने के बाद कहाः–

> "18. शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंजीनियर–डी–स्पेस–एज [(1996) 1 एस. सी. सी. 516] और मदनानी [(2010) 1 एस. सी. सी. 549] पुराने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत उत्पन्न हुए, जिसमें नए अधिनियम की धारा 31 (7) के समान प्रावधान नहीं था। इस न्यायालय ने सईद अहमद [(2009) 12 एस. सी. सी. 26] मामले में निर्णय दिया कि पुराने अधिनियम के तहत दिए गए निर्णय नए अधिनियम के तहत ब्याज अनुदान की वैधता तय करने में सहायक नहीं हो सकते हैं। इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज [(1996) 1 एस. सी. सी. 516] में तर्क यह था कि जबकि अनुबंध कार्रवाई के कारण की तारीख से संदर्भ की तारीख तक ब्याज को नियंत्रित करता है, मध्यस्थ के पास ब्याज की दर तय करने का विवेकाधिकार था।सईद अहमद [(2009) 12 एस. सी. सी. 26] मामले में इस अदालत ने निर्णय दिया कि इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज [(1996) 1 एस. सी. सी. 516] में निर्णय नए अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर लागू नहीं होगा। हम नीचे सईद अहमद [(2009) 12 एस. सी. सी. 26] से प्रासंगिक भाग निकालते हैंः(एस. सी. सी पी.36, पैरा 23–24)
>
> "23. इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज में अवलोकन [(1996) 1 एस. सी. सी. 516] में अवधारणा व्यक्त की गई है कि अनुबंध की अवधि केवल विभाग/नियोक्ता को विलंबित भुगतान के लिए ठेकेदार को ब्याज का भुगतान करने से रोकती है, लेकिन एक बार जब मामला मध्यस्थ के पास जाता है, तो मध्यस्थ के विवेक को अनुबंध की शर्तों से किसी भी तरह से दबाया नहीं जाता है और मध्यस्थ को विचाराधीन ब्याज पर विचार करने और अनुदान देने का अधिकार होगा, इसका उपयोग इस विचित्र तर्क का समर्थन करने के लिए नहीं किया जा सकता है कि सरकार या विभाग पर ब्याज का भुगतान करने पर प्रतिबंध मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने पर प्रतिबंध नहीं है।चाहे अनुबंध में प्रावधान नियोक्ता को ब्याज के लिए किसी भी दावे को स्वीकार करने से रोकता है या ठेकेदार को ब्याज के लिए कोई दावा करने से रोकता है, यह ब्याज के संबंध में एक स्पष्ट निषेध के बराबर है। उक्त प्रावधान में कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है जो मध्यस्थ को ब्याज देने से रोकता है। वाद क़ालीन ब्याज लटकन के संदर्भ में की गई टिप्पणियों का उपयोग अनुबंध से बाहर नहीं किया जा सकता है।

24. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज [(1996) 1 एस. सी. सी. 516] में उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर तर्क दिया कि भले ही खंड जी. 1.09 को पूर्व–संदर्भ अवधि में ब्याज पर रोक लगाने के लिए माना जाता है, यह माना जाना चाहिए कि यह विचाराधीन अवधि, यानी 14–3–1997 से 31–7–2001 पर लागू नहीं होता है।उन्होंने तर्क दिया कि संदर्भ के लंबित रहने के दौरान ब्याज का अधिनिर्णय मध्यस्थ के विवेक के भीतर था और इसलिए, उस अवधि के लिए ब्याज के अधिनिर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था।जी. सी. रॉय [(1992) 1 एस. सी. सी. 508] और एन. सी. बुधराज [(2001) 2 एस. सी. सी. 721] में संविधान पीठ के फैसलों को ध्यान में रखते हुए और इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज में निर्णय के बाद [(1996) 1 एस. सी. सी. 16], यह संदिग्ध है कि क्या मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत उत्पन्न होने वाले मामले में इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज [(1996) 1 एस. सी. सी. 516] में यह अवलोकन कि मध्यस्थ अनुबंध में एक्सप्रेस बार को नजरअंदाज करते हुए ब्याज विचाराधीन राशि प्रदान कर सकता है, अच्छा कानून है।लेकिन इस पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह नए अधिनियम के तहत एक मामला है जहां मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान है।"

यही तर्क मदनानी [(2010) 1 एस. सी. सी. 549] में निर्णय पर भी लागू होता है क्योंकि यह भी पुराने अधिनियम के तहत एक मामले से संबंधित है और इस मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया गया था, बल्कि केवल इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज [(1996) 1 एस. सी. सी. 516] में निर्णय पर भरोसा किया गया था।

19. नए अधिनियम की धारा 37 (1) [धारा 31 (7)] का उपयोग करके शब्द "जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमत न हो" स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करता है कि मध्यस्थ अनुबंध की शर्तों से बंधा है जहां तक कार्रवाई के कारण की तारीख से ब्याज का पंचाट है, पंचाट की तारीख तक।इसलिए, जहां पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि कोई ब्याज देय नहीं होगा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से अधिनिर्णय की तारीख के बीच ब्याज नहीं दे सकता है।"

15. भारत संघ बनाम क्राफ्टर्स इंजीनियरिंग और लीजिंग (पी) लिमिटेड (2011) 7 एस. सी. सी. 279, के मामले में दो–न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात पर विचार किया कि क्या उस मामले में अनुबंध का खंड 1. 15 लंबित ब्याज पर रोक लगाएगा।खंड 1. 15 इस प्रकार हैः

"1.15।राशि पर ब्याज।– अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय बकाया राशि या प्रतिभूति जमा या राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, लेकिन खंड 1.14 के संदर्भ में जमा की गई सरकारी प्रतिभूतियों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 1.14.4 उस पर उपार्जित ब्याज के साथ चुकाया जाएगा।"

यह न्यायालय उपरोक्त इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज के मामले का उल्लेख करने के बाद और सईद अहमद **[सईद अहमद एंड कंपनी।उत्तर प्रदेश राज्य, (2009) 12 एस. सी. सी. 26], के मामले में माना कि उनका विचार था कि सईद अहमद (ऊपर) ने इसके विपरीत, इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज (ऊपर) का संभवतः पालन नहीं किया जा सकता था। उपनिर्धारित मदनानी कंस्ट्रक्शन के साथ भी यही स्थिति थी जिसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि यह स्वतंत्र रूप से इस मुद्दे पर विचार नहीं करता है, बल्कि केवल इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज (ऊपर) में निर्णय पर निर्भर करता है।इसके बाद अदालत ने कहाः– "20. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता हैःइंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज [(1996) 1 एस. सी. सी. 516] में अनुपात के आधार पर निर्भरता अस्वीकार्य है क्योंकि उक्त दृष्टिकोण है** सईद अहमद एंड कंपनी [(2009) 12 एस. सी. सी. 26, (2009) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 629] और मदनानी निर्माण निगम में अनुपात के रूप में। (पी) लिमिटेड [(2010) 1 एस. सी. सी. 549:(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 168] जो पहले के पैरा में उल्लिखित कारणों के लिए भी अस्वीकार्य है, हम प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा लिए गए रुख को अस्वीकार करते हैं।दूसरी ओर, हम भारत संघ के रुख को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं जैसा कि श्री ए. एस. चांधियोक, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम दोहराते हैं कि जहां पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि कोई ब्याज देय नहीं होगा, मध्यस्थ अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि के लिए ब्याज नहीं दे सकता है।जहां पक्षों के बीच समझौता ब्याज देने पर रोक नहीं लगाता है और जहां कोई पक्ष ब्याज का दावा करता है और उक्त विवाद मध्यस्थ को भेजा जाता है, वहां उसके पास ब्याज लंबित देने की शक्ति होगी।जैसा कि जी. सी. रॉय मामले [(1992) 1 एस. सी. सी. 508] में संविधान पीठ ने कहा, ऐसे मामले में, यह माना जाना चाहिए कि ब्याज पक्षों के बीच समझौते का एक निहित शब्द था।हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में मध्यस्थ को अनिवार्य रूप से ब्याज विचाराधीन ए देना चाहिए। हल्का।संविधान पीठ अर्थात एन. सी. बुधराज मामले [(2001) 2 एस. सी. सी. 721] के बाद के निर्णय में, यह दोहराया गया है कि ऐसे किसी भी ब्याज का दावा करने या देने के अनुबंध में किसी विशिष्ट शर्त या निषेध के अभाव में, मध्यस्थ ब्याज देने के लिए स्वतंत्र है।

21. उपरोक्त सिद्धांत के आलोक में और खंड 1.5 में निहित अनुबंध के विशिष्ट निषेध को देखते हुए, मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति समाप्त हो जाती है।हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 में ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति से संबंधित कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।तथापि, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में मध्यस्थ द्वारा

ब्याज देने के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान है।खंड 1.5 के तहत प्रतिबंध पूर्ण है और अनुबंध को फिर से लिखे बिना ब्याज नहीं दिया जा सकता है।"

16. स्पष्ट रूप से, न्यायालय का यह निष्कर्ष कि इंजीनियर–डी–स्पेस–एज के मामले को सईद अहमद के मामले द्वारा खारिज कर दिया गया था, दो कारणों से गलत हैःपहला, दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ दो विद्वान न्यायाधीशों की एक समन्वित पीठ को खारिज नहीं कर सकती है; और दूसरा, सईद अहमद (उपरोक्त) का न्यायालय 1940 के अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामले का फैसला नहीं कर रहा था, बल्कि 1996 के अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामले का फैसला कर रहा था।

17. टिहरी पनबिजली विकास निगम लिमिटेड बनामजय जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, (2012) 12 एस. सी. सी. 10, इस न्यायालय की तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने 1940 के अधिनियम के तहत पारित एक निर्णय पर विचार किया। उस मामले में समझौते के तहत ब्याज को छोड़कर प्रासंगिक खंड नीचे दिए गए हैंः–

> "14. खंड 1.2.14 और 1.2.15 जिन पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहुत सारे तर्क दिए गए हैं, उन्हें अब नीचे निकाला जा सकता हैः
>
> **भाग–2**
>
> अनुबंध की शर्तें
>
> 1.2.14।विवाद आदि के कारण विलंबित भुगतान के लिए कोई दावा नहीं। ठेकेदार इस बात से सहमत है कि पक्षों के बीच किसी भी विवाद, मतभेद या गलतफहमी के कारण सरकार के पास पड़े किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में सरकार द्वारा नुकसान के ब्याज के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा या देय नहीं होगा। तत्काल या अंतिम भुगतान करने में या किसी अन्य मामले में प्रभारी अभियंता की ओर से देरी या चूक।
>
> 1.2.15।ठेकेदार को देय धन पर ब्याज।– नहीं। माप पर देय राशि का भुगतान करने के लिए प्रभारी अभियंता की ओर से चूक या अन्यथा अनुबंध को दूषित या अमान्य कर देगा, न ही ठेकेदार किसी भी गारंटी या बकाया भुगतान पर ब्याज का हकदार होगा और न ही किसी भी शेष राशि पर जो उसके खातों के अंतिम निपटान पर देय हो सकता है।"
>
> क्राफ्टर्स इंजीनियरिंग (ऊपर) और कुछ का उल्लेख करने के बाद पूर्ववर्ती निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया थाः"16. क्राफ्टर्स इंजीनियरिंग मामले में [(2011) 7 एससीसी 279:(2011) 3 एस. सी. सी. (सी.

आई. वी.) 533] निर्णयों से कुछ हद तक असंगत नोट किया गया। पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज [(1996) 1 एस. सी. सी. 516] और मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्प में इस न्यायालय का।(पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ [(2010) 1 एस. सी. सी. 549:(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 168] पर भी ध्यान दिया गया।इसके बाद यह भी देखा गया कि इंजीनियर–डी–स्पेस–एज मामले [(1996) 1 एस. सी. सी. 516] में निर्णय पर सईद अहमद एंड कंपनी बनाम में विचार किया गया था।उत्तर प्रदेश राज्य [(2009)] 12 एस. सी. सी 26:(2009) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 629] और मदनानी निर्माण मामले में निर्णय [(2010) 1 एस. सी. सी. 549:(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. वी.) 168] श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस बनाम रेलवे [(2010) 8 एस. सी. सी. 767:(2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 575, में माना गया था] सईद अहमद मामले में [(2009) 12 एस. सी. सी. 26:(2009) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 629] (एस. सी. सी. पैरा 24) में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जी. सी. रॉय मामले [(1992) 1 एस. सी. सी. 508] और एन. सी. बुधराज मामले [(2001) 2 एस. सी. सी. 721] में संविधान पीठ के निर्णयों के आलोक में यह संदेहपूर्ण है कि क्या इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज मामले में टिप्पणियाँ [(1996) 1 एस. सी. सी. 516] इस प्रभाव के लिए कि मध्यस्थ अनुबंध में एक्सप्रेस बार की अनदेखी करते हुए वाद क़ालीन ब्याज का फैसला दे सकता है, एक अच्छा कानून है।

श्री कामची अम्मान निर्माण मामले में [(2010) 8 एस. सी. सी. 767: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 575] मदनानी मामले पर विचार करते हुए [(2010) 1 एस. सी. सी. 549:(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 168] इस न्यायालय ने नोट किया कि मदनानी मामले में निर्णय [(2010) 1 एस. सी. सी. 549:(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 168] इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज केस [(1996) 1 एस. सी. सी. 516] में निर्णय का अनुसरण करता है।"

मामले के इस दृष्टिकोण में, न्यायालय ने निर्णय दिया:

"19. खंड 1.2.14 और 1.2.15, जो पहले से ही निकाले गए और विश्लेषण किए गए हैं, ने भुगतान न करने या किए गए काम के लिए देय राशि के विलंबित भुगतान या प्रतिभूति जमा में पड़े होने की किसी भी स्थिति में मनोरंजन या ब्याज के भुगतान पर एक स्पष्ट प्रतिबंध लगा दिया है।इसलिए, इससे पहले की चर्चाओं के आधार पर हम यह विचार रखते हैं

कि Rs. 10,17,461/– लाख रुपये के दावे पर लंबित ब्याज देना उचित नहीं है।पुरस्कार के साथ–साथ नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेशों को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।20. हालांकि, पुरस्कार के बाद की अवधि के लिए ब्याज का अनुदान कुछ अलग आधार पर होगा।इस न्यायालय द्वारा मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 29 के प्रावधानों के आलोक में बी. एन. अग्रवाल [(1997) 2 एस. सी. सी. 469] में इस मुद्दे पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है।अंततः इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि ऐसी स्थिति में जहां मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णय की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज प्रदान करने वाले अधिनिर्णय को न्यायालय द्वारा संशोधित नहीं किया जाता है, "प्रभाव ऐसा होगा जैसे कि न्यायालय ने स्वयं डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज प्रदान किया हो।"उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पुरस्कार की तारीख से डिक्री या भुगतान की तारीख, जो भी पहले हो, तक Rs. 10,17,461/– लाख की राशि पर ब्याज अनुदान को बरकरार रखा जाता है।मामले के तथ्यों में हमारा विचार है कि ब्याज की दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष होनी चाहिए जैसा कि पक्षों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही में निर्धारित किया जाता है।"

18. **भारत संघ बनाम उज्ज्वल बिजली परियोजना (भारत) (पी) लिमिटेड, (2015) 9 एस. सी. सी. 695, इस न्यायालय की तीन–न्यायाधीशों की पीठ को 1996 के अधिनियम के तहत एक मध्यस्थता पंचाट द्वारा दिए गए ब्याज से निपटना था।** यह श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस (ऊपर) की तरह निर्णय सेट करता है कैसे धारा 31 (7) (ए) 1940 के अधिनियम के तहत स्थिति से पूरी तरह से विचलन है। इस न्यायालय ने कहाः–

> "12. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31 (7) (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) इस प्रभाव के लिए स्पष्ट है कि जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण उस तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए उचित दर पर ब्याज दे सकता है जब कार्रवाई का कारण निर्णय की तारीख तक उत्पन्न होता है।अधिनियम की धारा 31 (7) निम्नानुसार हैः
>
> "31. (7) (क) जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, जहां और जहां तक एक मध्यस्थ पंचाट धन के भुगतान के लिए है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण उस राशि में उस राशि को शामिल कर सकता है जिसके लिए पंचाट ब्याज बनाया गया है, ऐसी दर पर जो वह उचित समझे, उस तारीख के बीच की अवधि के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए

जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ और जिस तारीख को पंचाट दिया गया है।"

13. अधिनियम की धारा 31 (7), "जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" शब्दों का उपयोग करके, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि मध्यस्थ अनुबंध की शर्तों से बाध्य है जहाँ तक ब्याज का पुरस्कार है। कार्रवाई के कारण की तारीख से पंचाट की तारीख तक चिंतित हैं। इसलिए, जहां पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि कोई ब्याज देय नहीं होगा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ब्याज नहीं दे सकता है।

14. हम भारत संघ बनाम सारस्वत व्यापार एजेंसी [(2009) 16 एस. सी. सी. 504 में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैंः(2011) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 499]इस न्यायालय ने उक्त मामले में कहा है कि यदि अनुबंध में ब्याज के भुगतान पर कोई रोक है, तो मध्यस्थ ऐसी अवधि के लिए कोई ब्याज नहीं दे सकता है।पक्षकारों के बीच किए गए अनुबंध के खंड 13 (3) के तहत विशिष्ट प्रतिबंध को देखते हुए, हमारा विचार है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को निर्देश देने की तारीख से लेकर निर्णय की तारीख तक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को ब्याज देने में न्यायसंगत नहीं था।

XXXXX

16. इस न्यायालय द्वारा दिए गए अनिश्चित निर्णय पर भरोसा करते हुए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने उस तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए ठेकेदार को देय राशि पर ब्याज देना उचित समझा, जिस तारीख को निर्देश दर्ज किया गया था।हालाँकि, न्यायाधिकरण वर्तमान मामले में ब्याज देने से पहले अधिनियम की धारा 31 (7) और अनुबंध के खंड 13 (3) के प्रावधानों पर विचार करने में विफल रहा।

17. यह भी ध्यान देने योग्य है कि जी. सी. रॉय मामले [(1992) 1 एस. सी. सी. 508] का निर्णय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के आधार पर किया गया था, जो उस समय लागू नहीं था जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विवाद का निर्णय लिया गया था।

18. अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) को ब्याज देने के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए थी।उक्त खंड, जिसे यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, पक्षों के बीच हुए समझौते को अधिक सम्मान देता है।यदि समझौते के पक्ष एक–दूसरे को ब्याज का भुगतान नहीं करने के लिए सहमत होते हैं, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को लंबित ब्याज देने का कोई अधिकार नहीं है।"

[जोर दिया गया]

19. ऊपर उल्लिखित मामले कानून की भूलभुलैया और इस धारणा को देखते हुए कि कुछ निर्णय अलग–अलग दिशाओं में खींच रहे थे, तीन–न्यायाधीशों की पीठ को एक संदर्भ दिया गया था।संघ में भारत बनाम अम्बिका निर्माण ("पहला अम्बिका निर्माण मामला"),

(2016) 6 एस. सी. सी. 36, पैराग्राफ 1 दर्शाता है कि कैसे मामले को निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।इस मामले में संदर्भित मामले कानून की भूलभुलैया का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

> "21. यह न्यायालय सईद अहमद [सईद अहमद एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 12 एस. सी. सी. 26:(2009) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 629] ने हरीश चंद्र [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य] मामले में भी निर्णय को अलग किया है।हरीश चंद्र एंड कंपनी, (1999) 1 एस. सी. सी. 63] जिसमें खंड 1 इस प्रकार विचार के लिए आया:(सईद अहमद मामला [सईद अहमद एंड कंपनी बनाम।उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 12 एस. सी. सी. 26:(2009) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 629], एस. सी. सी. पीपी. 33–34, पैरा 17–19)
>
> 17. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त खंड नुकसान के किसी भी दावे या किए गए कार्य के भुगतान के दावे पर ब्याज के अधिनिर्णय पर रोक नहीं लगाता है।हम इस तरह के निर्णय के लिए तर्क नीचे निकालते हैं:(एस. सी. सी. पी. 67, पैरा 10)
>
> '10. इस खंड पर केवल एक नज़र डालने से पता चलता है कि हर्जाने के रूप में ब्याज के दावे पर सरकार के खिलाफ केवल एक निर्दिष्ट प्रकार की राशि के संबंध में विचार नहीं किया जाना था, अर्थात्, कोई भी धन या शेष राशि जो किसी भी विवाद, प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच अंतर, या आवधिक या अंतिम भुगतान करने में प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच गलतफहमी या किसी अन्य मामले में सरकार के पास हो सकती है।"या किसी अन्य मामले में जो भी हो" शब्द भी संबंधित विवाद को संदर्भित करते हैं धन या शेष राशि जो समझौते के अनुसार सरकार के पास पड़ी हो सकती है, जिसका अर्थ है कि प्रतिभूति जमा या प्रतिधारण राशि या कोई अन्य राशि जो सरकार के पास हो सकती है और जिसकी वापसी सरकार द्वारा रोकी गई हो।हर्जाने का दावा या किए गए काम के लिए भुगतान के लिए दावा और जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया था, स्पष्ट रूप से किसी भी धन को शामिल नहीं करेगा जिसे सरकार के पास पड़ा हुआ कहा जा सकता है।नतीजतन, इस खंड की स्पष्ट भाषा में, ऐसा कोई निषेध नहीं है जिसे प्रत्यर्थी ठेकेदार के खिलाफ समाप्त किया जा सके

कि वह निर्णय के लिए रखी गई प्रासंगिक वस्तुओं पर मध्यस्थ के समक्ष हर्जाने के रूप में ब्याज का दावा नहीं कर सकता है।'

18. हरीश चंद्र में [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम.हरीश चंद्र और कं., (1999) 1 एस. सी. सी. 63] खंड 1.09 के एक अलग संस्करण पर विचार किया गया था।उस खंड के प्रतिबंधात्मक शब्दों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह नुकसान के दावे या किए गए और भुगतान नहीं किए गए कार्य के भुगतान के दावे पर ब्याज के अधिनिर्णय पर रोक नहीं लगाता है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त खंड केवल उन राशियों पर ब्याज देने पर रोक लगाता है जो प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि या किसी अन्य राशि के रूप में सरकार के पास पड़ी हो सकती हैं, जिसकी वापसी सरकार द्वारा रोक दी गई थी।

19. लेकिन वर्तमान मामले में, खंड जी 1.09 काफी अलग है।इसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच किसी भी विवाद, मतभेद या गलतफहमी के कारण या आवधिक या अंतिम भुगतान करने में प्रभारी अभियंता की ओर से किसी भी देरी के संबंध में या किसी भी अन्य संबंध में देय किसी भी धन के संबंध में कोई ब्याज देय नहीं होगा।इस मामले में खंड जी. 1.09 के तहत प्रतिबंध पूर्ण होने के कारण, निर्णय हरीश चंद्र में [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम.हरीश चंद्र और कं., (1999) 1 एस. सी. सी. 63] के मामले में किसी भी तरह से अपीलार्थी की सहायता नहीं करेगा।"

(जोर दिया गया)

हरीश चंद्र में [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीश चंद्र और कंपनी, (1999) 1 एस. सी. सी. 63], इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि खंड 1 9 किए गए कार्य के भुगतान के लिए नुकसान के दावे के लिए ब्याज के अधिनिर्णय पर रोक नहीं लगाता है और जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया था, वह स्पष्ट रूप से किसी भी धन को शामिल नहीं करेगा जिसे सरकार के पास पड़ा हुआ कहा जा सकता है।

22. हमारी राय में, यह प्रत्येक मामले में निष्कासन खंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा।यदि कोई स्पष्ट शर्त है जो लंबित ब्याज पर रोक लगाती है, तो जाहिर है, यह मध्यस्थ द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है।अन्य बातों के साथ–साथ विचाराधीन लघु ब्याज का अधिनिर्णय समझौते के

समग्र इरादे और स्पष्ट रूप से किस चीज को बाहर रखा गया है, इस पर निर्भर होना चाहिए।"

पूर्ववर्ती निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:–

"28. ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों से यह स्पष्ट है कि जी. सी. रॉय [सिंचाई विभाग।उड़ीसा राज्य बनाम जी. सी. रॉय, (1992) 1 एस. सी. सी. 508] इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया है कि जहां समझौते में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि बकाया राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, मध्यस्थ को ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं है। एन. सी. में बुधराज [ढेंकनाल] लघु सिंचाई प्रभाग बनाम एन. सी. बुधराज, (2001) 2 एस. सी. सी. 721] एक संविधान पीठ ने कहा है कि यदि मध्यस्थता समझौते में ब्याज के दावे पर विचार करने के लिए मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सभी अवधियों के संबंध में विचार करने और ब्याज देने के लिए मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र विषय है। अधिनियम की धारा 29 के लिए। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में [हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम.जम्मू और कश्मीर राज्य, (1992) 4 एस. सी. सी. 217] इस न्यायालय ने जी. सी. रॉय के फैसले का पालन किया है। [सिंचाई विभाग।, उड़ीसा राज्य बनाम जी. सी. रॉय, (1992) 1 एस. सी. सी. 508] और यह निर्धारित किया कि धारा 34 के सिद्धांतों के आधार पर मध्यस्थ के पास विचाराधीन लघु ब्याज देने की शक्ति होगी।

बी. एन. अग्रवाल में [उड़ीसा राज्य बनाम बी. एन. अग्रवाल, (1997) 2 एस. सी. सी. 469], इस न्यायालय ने फिर से जी. सी. रॉय का अनुसरण किया है।

[सिंचाई विभाग।उड़ीसा राज्य बनाम जी. सी. रॉय, (1992) 1 एस. सी. सी. 508] और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड।

कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड बनामजम्मू और कश्मीर राज्य, (1992) 4 एस. सी. सी. 217] लम्बित ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति के संबंध में और यह अभिनिर्धारित किया गया कि मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति है।

हरीश चंद्र में [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम.हरीश चंद्र एंड कंपनी, (1999) 1 एस. सी. सी. 63] इस न्यायालय ने खंड 1 की व्याख्या की जिसमें यह

प्रावधान किया गया था कि सरकार के पास पड़े किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में ब्याज या हर्जाने के किसी भी दावे पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसे ठेकेदार के खिलाफ संबंधित वस्तुओं पर मध्यस्थ के समक्ष हर्जाने के रूप में ब्याज का दावा नहीं करने के लिए समाप्त किया जा सके।

निर्णय के लिए रखा गया।फेरो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड में [राजस्थान राज्य बनाम फेरो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड], (2009) 12 एससीसी 1:(2009) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 604] इस न्यायालय ने खंड 4 पर विचार किया जिसमें एक शर्त थी कि समझौते के तहत रोकी गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि खंड 4, जो दरों, सामग्री और कारीगरी से संबंधित है, उक्त मामले में ठेकेदार के दावों पर मध्यस्थ द्वारा ब्याज के अधिनिर्णय पर रोक नहीं लगाता है।सईद अहमद [सईद अहमद एंड कंपनी बनाम।उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 12 एस. सी. सी. 26:(2009) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 629] इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि ब्याज का अधिनिर्णय समझौते के खंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा।इन ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (भारत) (पी) लिमिटेड [भारत संघ बनाम उज्वल बिजली परियोजनाएं (इंडिया) (पी) लिमिटेड, (2015) 9 एससीसी 695:(2015) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 702] इस न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) में नियोजित "जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" अभिव्यक्ति पर विचार किया है और यह निर्धारित किया है कि यदि अनुबंध ब्याज के दावे को रोकता है तो ठेकेदार ब्याज का दावा नहीं कर सकता था।1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) का प्रावधान मध्यस्थ के लिए बाध्यकारी है।श्री कामची में अम्मान निर्माण [श्री कामची अम्मान निर्माण बनाम रेलवे, (2010) 8 एस. सी. सी. 767:(2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 575] इसी तरह का दृष्टिकोण लिया गया है।

29. अब हम इंजीनियर्स–डी–में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए इस न्यायालय के निर्णय की शुद्धता के सवाल पर आते हैं।

स्पेस–एज [पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज, (1996) 1 एस. सी. सी. 516] जिसे हमारे विचार के लिए भेजा गया है

जिसमें यह न्यायालय जी. सी. रॉय मामले [सिंचाई विभाग] पर विचार करने के बाद है।, उड़ीसा राज्य बनाम जी. सी. रॉय, (1992) 1 एस. सी. सी. 508] इस प्रकार देखा गया:(इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज मामला [पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज, (1996) 1 एस. सी. सी. 516], एस. सी. सी. पीपी. 519–20, पैरा 3–4)

"3. संविधान पीठ ने कानूनी स्थिति के रूप में जो कहा है, उससे यह प्रतीत होगा कि आम तौर पर एक व्यक्ति जो अपने धन से वंचित है, जिसके लिए वह वैध रूप से अधिकार का हकदार है, वह इसके अभाव में क्षतिपूर्ति का हकदार है, इसे किसी भी नाम से कहें।यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 में निर्धारित सिद्धांत के संदर्भ में होगा।उनके अधिपतियों ने बताया कि मध्यस्थ के मामले में अन्यथा रखने का कोई कारण या सिद्धांत नहीं था।यह इंगित करते हुए कि मध्यस्थ पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक वैकल्पिक मंच है, इसने कहा कि उसके पास पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों और मतभेदों को तय करने की शक्ति होनी चाहिए और यदि उसे ब्याज लंबित देने की शक्ति से वंचित किया जाना है, तो उसके हकदार पक्ष को अदालत में जाने की आवश्यकता होगी जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही की बहुलता होगी, एक ऐसी स्थिति जिससे अदालत को बचने का प्रयास करना चाहिए।हालाँकि, रिलायंस को उप–पैरा (iii) में अवलोकन पर रखा गया था जिसमें यह बताया गया है कि एक मध्यस्थ एक समझौते का एक प्राणी है और यदि पक्षों के बीच समझौता ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करता है तो मध्यस्थ को उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उनके प्रभुत्व के अनुसार मध्यस्थ से अपेक्षा की जाती है कि वह देश के सामान्य कानून के अनुसार कार्य करे और अपना निर्णय दे, लेकिन एक समझौते के अधीन, बशर्ते कि समझौता वैध और कानूनी हो।अंत में, यह बताया गया कि विचाराधीन ब्याज मूल कानून का विषय नहीं है, जैसे कि संदर्भ से पहले की अवधि के लिए ब्याज।उनके प्रभुत्वों ने निष्कर्ष निकाला कि जहां पक्षों के बीच समझौता ब्याज देने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है और जहां कोई पक्ष ब्याज का दावा करता है और उस विवाद को मध्यस्थ को भेजा जाता है, तो उसके पास इस सरल कारण से ब्याज लंबित देने की शक्ति होगी कि ऐसे मामले में यह माना जाता है कि ब्याज पक्षों के बीच समझौते का एक निहित शब्द था; यह तब मध्यस्थ द्वारा विवेक का प्रयोग करने का मामला है।इसलिए संविधान पीठ के उपरोक्त निर्णय में कानून की स्थिति स्पष्ट रूप से बताई गई है।

4. हम संदर्भ से पहले की अवधि के लिए ब्याज देने के संबंध में किसी मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं।हम मध्यस्थ द्वारा संदर्भ के बाद ब्याज देने के संबंध में एक मामले पर विचार कर रहे हैं।अतः संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या पहले निकाले गए अनुबंध के खंड 13 के उपखंड (छ) में मध्यस्थ को अनुबंध के तहत ब्याज देने से प्रतिबंधित किया गया था।अब उपखंड (छ) में शब्द केवल आयुक्त को ब्याज के लिए किसी भी दावे पर विचार करने से रोकता है और मध्यस्थ को ब्याज देने से नहीं रोकता है। प्रारंभिक शब्द "ब्याज के लिए कोई दावा आयुक्त द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा" स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि इरादा आयुक्त को ठेकेदार को भुगतान में देरी के कारण ब्याज देने से प्रतिबंधित करना था।खंड 13 का कड़ाई से इस सरल कारण से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि जैसा कि संविधान पीठ ने इंगित किया है, आम तौर पर, एक व्यक्ति जिसके पास वैध दावा है, वह उचित समय के भीतर भुगतान का हकदार है और यदि भुगतान में उचित समय से अधिक देरी हुई है, तो वह वैध रूप से उस देरी के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है, जो भी नाम उस ओर से उसके दावे को दिया जाए।"

30. सईद अहमद [सईद अहमद एंड कंपनी बनाम यू. पी. राज्य, (2009) 12 एससीसी 26:(2009) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 629 में निर्णय इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज [पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम इंजीनियर्स–डी – स्पेस–एज, (1996) 1 एस. सी. सी. 516] पर विचार किया गया है और यह देखा गया है कि इसका उपयोग एक विचित्र तर्क का समर्थन करने के लिए नहीं किया जा सकता है कि सरकार या विभाग पर ब्याज का भुगतान करने पर प्रतिबंध मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने पर प्रतिबंध नहीं है।इस न्यायालय ने इंजीनियर्स में की गई कुछ टिप्पणियों की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया –

डी–स्पेस–एज [पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज, (1996) 1 एस. सी. सी. 516] इस हद तक कि मध्यस्थ अनुबंध में एक्सप्रेस बार की अनदेखी करते हुए ब्याज लटकाने का फैसला दे सकता है।लेकिन इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर आगे मामले के रूप में विचार नहीं किया सईद अहमद [सईद अहमद एंड कंपनी बनाम।उत्तर प्रदेश राज्य, (2009)

12 एस. सी. सी 26:(2009) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 629] मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत उत्पन्न हुआ और मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने के संबंध में नए अधिनियम के तहत एक विशिष्ट

प्रावधान था।सईद अहमद में की गई चर्चा से [सईद अहमद एंड कंपनी बनाम।उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 12 एस. सी. सी. 26:(2009) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 629] यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि यह खंड और दावे आदि की प्रकृति पर निर्भर करेगा और यह इस शर्त पर विचार करने पर पाया जाना आवश्यक है कि क्या ब्याज वर्जित है, यदि हां, तो अनुबंध के तहत किस राशि पर ब्याज वर्जित है।"

अदालत ने तब तीन–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को संदर्भित किया टिहरी पनबिजली विकास निगम लिमिटेड (ऊपर) और अंत में संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दियाः–

"32. इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज के पैरा 4 में [पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज, (1996) 1 एस. सी. सी. 516] इस न्यायालय ने कहा है कि अनुबंध के तहत प्रतिबंध मध्यस्थ पर लागू नहीं होगा, इसे सामान्य आवेदन का अवलोकन नहीं कहा जा सकता है।हमारी राय में, यह प्रत्येक मामले में अनुबंध की शर्त पर निर्भर करेगा कि क्या मध्यस्थ की लंबित ब्याज देने की शक्ति स्पष्ट रूप से छीन ली गई है।यदि उत्तर "हाँ" है तो मध्यस्थ के पास विचाराधीन लघु ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं होगी।

33. मदनानी कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन में निर्णय।[मदनानी कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन(पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (2010) 1 एस. सी. सी. 549:(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 168] ने इस निर्णय का पालन किया है। इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज [पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम इंजीनियर्स–डी – स्पेस–एज, (1996) 1 एस. सी. सी. 516]। इसे इस हद तक कम करने की भी आवश्यकता है कि अनुबंध के तहत व्यक्त शर्त मध्यस्थ को लंबित ब्याज देने से रोक सकती है।विचाराधीन लघु ब्याज का अनुदान कई कारकों पर निर्भर कर सकता है जैसे कि समझौते में उपयोग की गई वाक्यांशिकी, मध्यस्थता से संबंधित शक्ति प्रदान करने वाले खंड, मध्यस्थ को संदर्भित दावे और विवाद की प्रकृति और ब्याज देने की किस वस्तु की शक्ति को छीन लिया गया है और किस अवधि के लिए।

34. इस प्रकार, संदर्भ के लिए हमारा उत्तर यह है कि यदि अनुबंध स्पष्ट रूप से ब्याज के पुरस्कार को प्रतिबंधित करता है, तो यह मध्यस्थ द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है।हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि विलंबित

भुगतान पर स्वयं ब्याज देने पर रोक को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा ब्याज लंबित देने के लिए त्वरित रोक के रूप में आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि मध्यस्थ की शक्ति को इस न्यायालय के निर्णयों में निर्दिष्ट विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया जाना है, यह खंड पीठ पर होगा कि वह गुण–दोष के आधार पर मामले पर विचार करे।"

20. उपरोक्त निर्णय तीन अन्य न्यायाधीशों द्वारा लागू किया गया था। इसके तुरंत बाद अम्बिका निर्माण बनाम भारत संघ ("दूसरा अम्बिका निर्माण मामला"), (2017) 14 एस. सी. सी. 323 के मामले में पीठ गठित की गई।इसमें मामले में, संबंधित खंड, जो समझौते का खंड 2 है, इस प्रकार हैः–

(2) राशि पर ब्याज।अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि या प्रतिभूति जमा या राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, लेकिन इस खंड के उपखंड (1) के संदर्भ में जमा की गई सरकारी प्रतिभूतियां उस पर उपार्जित ब्याज के साथ चुकाई जाएंगी।"

[पैराग्राफ 5 पर] इस अदालत ने पाया कि उपरोक्त खंड कोई बाधा नहीं थी, इसके बादप्रथम अम्बिका निर्माण मामले के अनुच्छेद 34 का उल्लेख करते हुए:"6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के हाथों दिया गया एकमात्र तर्क इस न्यायालय के फैसले पर आधारित था। भारत संघ बनाम अम्बिका निर्माण [भारत संघ बनाम अम्बिका निर्माण] अम्बिका कंस्ट्रक्शन, (2016) 6 एस. सी. सी. 36:(2016) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 36], जिसमें, सिंचाई विभाग में एक संविधान पीठ द्वारा इस न्यायालय द्वारा घोषित कानूनी स्थिति की जांच की गई है।उड़ीसा राज्य वी.जी. सी. रॉय [सिंचाई विभाग।उड़ीसा राज्य बनाम जी. सी. रॉय, (1992) 1 एस. सी. सी. 508], यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः(अम्बिका निर्माण) मामला [भारत संघ बनाम अम्बिका निर्माण, (2016) 6 एस. सी. सी. 36:(2016) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 36], एस. सी. सी पी.59, पैरा 34) "34. इस प्रकार, संदर्भ के लिए हमारा उत्तर यह है कि यदि अनुबंध स्पष्ट रूप से ब्याज के पुरस्कार को प्रतिबंधित करता है, तो यह मध्यस्थ द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है।हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि विलंबित भुगतान पर स्वयं ब्याज देने पर रोक को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा ब्याज लंबित देने के लिए त्वरित रोक के रूप में आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि मध्यस्थ की शक्ति को इस न्यायालय के निर्णयों में निर्दिष्ट विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया जाना है, यह खंड पीठ पर होगा कि वह गुण–दोष के आधार पर मामले पर विचार करे।"

तीन–न्यायाधीशों की खंड पीठ द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का अवलोकन, इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि अनुबंध के तहत देय राशि पर ब्याज देने का प्रतिबंध, लंबित ब्याज के भुगतान से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, हम संतुष्ट हैं कि भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा

अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए जिस खंड पर भरोसा किया गया था, वह यह है कि विचाराधीन अल्प ब्याज ए को नहीं दिया जा सकता है।

अपीलार्थी, प्रस्ताव के प्रचार के लिए एक वैध विचार नहीं था।अतः हम इस बात से संतुष्ट हैं कि मध्यस्थ ने अपना दिनांक 28–6–1999 का पुरस्कार पारित करते हुए अपीलार्थी को लंबित ब्याज देने में पूरी तरह से न्यायसंगत था।"

21. केस लॉ के मुकदमे को पूरा करने के लिए, अब हमें एक अन्य डिवीजन बेंच द्वारा 03.07.2018 पर दिए गए हाल के फैसले का उल्लेख करना चाहिए। मैसर्स रवीची बनाम भारत संघ (सिविल अपील सं. 2018 का 5964–5965)।खंड 16.3, जिसके साथ इस निर्णय का संबंध था, उस खंड के संदर्भ में समान था जो ब्याज पर रोक लगाता था। दूसरे अम्बिका निर्माण मामले में (ऊपर)।यह फैसला **इंजीनियर्स–डी–स्पेस–एज (ऊपर), मदनानी कंस्ट्रक्शन (ऊपर) और तीन–न्यायाधीशों की पीठ में निर्णयों को संदर्भित और उनका पालन किया गया** दूसरा अम्बिका निर्माण मामला (उपर्युक्त) यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि ऐसा खंड को वादकालीन ब्याज के भुगतान के लिए बाधा नहीं माना जाएगा।

22. ऊपर निर्दिष्ट किए गए निर्णयों का अवलोकन यह दर्शाता है कि 1940 के अधिनियम के तहत, एक मध्यस्थ को ब्याज अधिनियम, 1978 के तहत पूर्व–संदर्भ ब्याज के साथ–साथ विचाराधीन राशि और भविष्य का ब्याज देने की शक्ति है।हालाँकि, वह केवल इस तथ्य से सीमित है कि पक्षों के बीच एक समझौते में पूर्व–संदर्भ और/या लंबित ब्याज के पुरस्कार के लिए एक स्पष्ट बार हो सकता है।चूँकि ब्याज प्रकृति में प्रतिपूरक है और समय पर मूल राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर परजीवी है, इसलिए इस न्यायालय ने उन खंडों पर आपत्ति जताई है जो ब्याज के भुगतान को रोकते हैं।इसलिए इसने ऐसे खंडों के सख्त निर्माण का परीक्षण विकसित किया है, और यह कहा है कि जब तक कि एक मध्यस्थ द्वारा दिए जा सकने वाले ब्याज के भुगतान पर एक स्पष्ट और स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, तब तक ऐसे खंड जो मध्यस्थों के समक्ष दावों या पक्षों के बीच विवादों को संदर्भित नहीं करते हैं और स्पष्ट रूप से ब्याज के भुगतान पर रोक लगाते हैं, पूर्व–संदर्भ या लंबित ब्याज देने वाले मध्यस्थ के रास्ते में नहीं आ सकते हैं।इस प्रकार, जब कोई एक खंड की तुलना करता है जैसे कि दूसरे में खंड टिहरी हाइड्रो में खंड के साथ अम्बिका निर्माण मामला विकास निगम लिमिटेड (उपरोक्त), यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक कोई ठेकेदार इस बात से सहमत नहीं होता है कि पक्षों के बीच विवाद, मतभेद या गलतफहमी के कारण या इंजीनियर की ओर से या किसी अन्य मामले में देरी के संबंध में दूसरे पक्ष द्वारा ब्याज के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा या देय नहीं होगा, जिससे न्यायालय को ब्याज के भुगतान के खिलाफ एक स्पष्ट प्रतिबंध खोजने के लिए प्रेरित किया जाएगा, एक खंड जो केवल यह कहते हुए कि अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, 1940 के अधिनियम के तहत एक मध्यस्थ को लंबित ब्याज देने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जैसा कि हो चुका है।

प्रथम अम्बिका निर्माण मामले (ऊपर) में आयोजित, का अनुदान विचाराधीन ब्याज समझौते में उपयोग किए गए वाक्यांश, मध्यस्थता से संबंधित शक्ति प्रदान करने वाले खंड, मध्यस्थ को संदर्भित दावे और विवाद की प्रकृति और किन मदों पर ब्याज देने की शक्ति छीन ली गई है और किस अवधि के लिए इस पर निर्भर करता है।हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) के तहत उपरोक्त कुछ निर्णयों में जो स्थिति समझाई गई है, वह पूरी तरह से अलग है, क्योंकि 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) पक्षों के बीच समझौतों को पवित्र मानती है और कहती है कि जिस क्षण समझौता अन्यथा कहता है, कार्रवाई के कारण की तारीख से पंचाट दिए जाने तक कोई ब्याज देय अधिकार नहीं हो जाता है।

23. वर्तमान मामले में, अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 16 केवल भुगतान में किसी भी देरी की बात करता है जो ओ. एन. जी. सी. को ब्याज के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता है।इस खंड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्याज देने की मध्यस्थ की शक्ति को भी अप्रत्यक्ष रूप से संदर्भित करता हो।इस न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त खंड तीन द्वारा विचार किए गए खंड की तुलना में संकीर्ण है –

दूसरे अम्बिका निर्माण मामले (उपर्युक्त) में न्यायाधीश पीठ जो इसमें कहा गया है कि अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।वर्तमान मामले में खंड 16 केवल भुगतान में देरी तक सीमित है और अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय किसी अन्य राशि तक सीमित नहीं है।इसके अलावा, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) के खंड के विपरीत, खंड 16 में ऐसी भाषा नहीं है जो इतनी व्यापक प्रकृति की हो कि यह एक मध्यस्थ को लंबित ब्याज देने से रोक देगा।यह याद रखा जाएगा कि टिहरी में खंड हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (ऊपर) ने कोई दावा नहीं किया किसी भी धन के संबंध में ब्याज पर विचार किया जा रहा है या देय है जो पार्टियों के बीच विवादों, मतभेद या गलतफहमी के कारण सरकार के पास पड़ा हो सकता है और न कि केवल देरी या चूक के संबंध में; इसके अलावा, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) का खंड बहुत आगे जाता है और यह स्पष्ट करता है कि ब्याज के लिए कोई भी दावा किसी भी अन्य मामले में देय नहीं है।"इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि खंड 16 संभवतः वर्तमान मामले के तथ्यों पर लंबित ब्याज के भुगतान में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

24. अब श्री विश्वनाथन के इस तर्क पर आते हैं कि, किसी भी मामले में, वर्तमान मामले के तथ्यों पर, खंड 16 ए को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करता है चूंकि वास्तव में भुगतान में कोई देरी नहीं हुई थी, इसलिए वास्तव में, प्रति मीट्रिक टन Rs. 14,999/– का भुगतान 1200 मीट्रिक टन और 600 मीट्रिक टन दोनों के लिए किया गया था, लेकिन यह कि शेष राशि केवल पंचाट की तारीख से ही देय हो गई थी।श्री विश्वनाथन सही हैं, क्योंकि यह किसी का मामला नहीं है कि इस मामले के तथ्यों पर भुगतान में देरी हुई थी।रिलायंस द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक लिखित याचिका दायर करने के बाद ही यह स्पष्ट हो गया कि अधिक कीमत देय होगी, जिसे उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्धारित करने के लिए मध्यस्थ पर छोड़

दिया गया था, जिसमें मूल्य के मुद्दे को मध्यस्थ को भेजा गया था, जिसे ओ. एन. जी. सी. ने स्वीकार कर लिया था। मामले के इस दृष्टिकोण से, यह स्पष्ट है कि उच्च मूल्य के कारण कभी कोई देरी नहीं हुई क्योंकि यह केवल पुरस्कार की तारीख को और उसके बाद से देय हो गया, Rs.14,999/– प्रति मीट्रिक टन का भुगतान पहले समय पर किया गया था।यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि भले ही खंड 16 का आवेदन होना था, पूर्व–संदर्भ और विचाराधीन लघु ब्याज दोनों ही वर्जित नहीं हैं।

25. श्री विश्वनाथन की अपील पर, हम सोचते हैं कि ब्याज को 18 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का एकमात्र कारण यह है कि ओ. एन. जी. सी. एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो मध्यस्थ के विवेक के भीतर था, उसे अलग करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि पुरस्कार के समय ब्याज दरों को देखते हुए इस विवेकाधिकार का गलत तरीके से उपयोग किया गया है।इस प्रकार हम 18 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान को पूर्व–संदर्भ और लंबित ब्याज के रूप में बरकरार रखते हैं।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ओ. एन. जी. सी. ने देय मूल राशि, और पूर्व–संदर्भ, लंबित राशि और भविष्य के ब्याज में अंतर जमा किया है, सभी 10 प्रतिशत की दर से रु. 1,09,34,323/– दिनांक 21.1.1999 तक और Rs.46,86,138/– की राशि दिनांक 30.04.2023 पर, हम यह स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त दो तिथियों तक ब्याज की वसूली 18 प्रतिशत की दर से होगी।इस प्रकार, पूर्व–संदर्भ, पेंडेंट लाइट और भविष्य के ब्याज के लिए, ओ. एन. जी. सी. को आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर 21.01.1999 और 30.04.2003 तक 8 प्रतिशत की अंतर राशि का भुगतान करना है।न्याय के हित में, हम स्पष्ट करते हैं कि 10 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के बीच का अंतर होने के कारण, 10 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के बीच की शेष अंतर राशि पर और इसी तरह, भुगतान होने तक 10 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के बीच की शेष अंतर राशि पर, भुगतान होने तक, भविष्य में ब्याज का भुगतान 6 प्रतिशत प्रति वर्ष किया जाना है।तदनुसार, ओ. एन. जी. सी. की अपील खारिज कर दी जाती है और इस फैसले के संदर्भ में रिलायंस की अपील स्वीकार की जाती है।

निधि जैन

अपीलों का निपटारा किया गया।

Jai Shankar Mishra